न्यूज़ टुडे

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट का शीर्षक '**400 मिलियन ड्रीम्स**' है। इसमें **2011 की जनगणना के बाद से भारत में प्रवासन के बदलते पैटर्न पर चर्चा** की गई है।

- **आंतरिक/ घरेलू प्रवास** से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लोगों की आवाजाही से है।
  - **प्रतिकर्ष कारक (Push factors):** रोजगार के अवसरों की कमी, प्राकृतिक आपदा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी, आदि।
  - **अपकर्ष कारक (Pull factors):** आर्थिक अवसर, उच्च जीवन स्तर, शांति और स्थिरता, आदि।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर के नजर

- **घरेलू प्रवासियों की संख्या में कमी:** घरेलू प्रवासियों की संख्या में **लगभग 12 प्रतिशत की कमी** होने का अनुमान है। यह संख्या **2011 की 45.57 करोड़ की तुलना में 2023 में घटकर 40.20 करोड़** रह गई थी। प्रवासन दर लगभग **38% से घटकर लगभग 29%** रह गई है।
- **प्रवासन गतिशीलता:**
  - रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू प्रवासन में लोग **अधिकतर कम दूरी तक ही प्रवास** करते हैं। दूरी श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - प्रवासन मुख्य रूप से **दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों** से होता है
- **प्रमुख प्रवास मार्ग:** उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, बिहार-दिल्ली (राज्य स्तर)।
- **प्रवासी हिस्सेदारी में वृद्धि: पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक** में आने वाले प्रवासियों के प्रतिशत में **वृद्धि** देखी गई है।
- **प्रवासी हिस्सेदारी में कमी: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश** में आने वाले कुल प्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रवासी संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण

- **मूल स्थान पर बेहतर अवसंरचनाओं** (जैसे सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन आदि) का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जाल इत्यादि।
- **स्थानीयकृत आर्थिक संवृद्धि** के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक ही रोजगार सृजन हो रहा है।

भारत में घरेलू प्रवासियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

- **अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979:** यह प्रवासी कामगारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाता है।
- **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY):** इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना:** इसके द्वारा प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य ने 'महाराष्ट्र जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2024' पारित किया

इस विधेयक का उद्देश्य **राज्य में जेलों और सुधारात्मक सेवाओं तथा कैदियों के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित** करना है।

- यह **मॉडल जेल अधिनियम, 2023** पर आधारित है।

मॉडल जेल अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **विशिष्ट जेलें:** कानून में उच्च सुरक्षा युक्त और खुली व अर्ध-खुली जेलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **कानूनी सहायता और प्रोत्साहन:** अच्छे आचरण के आधार पर पैरोल, फरलो व शीघ्र रिहाई का उपबंध किया गया है।
- **पुनर्वास:** कानून में कैदियों को समाज में पुनः समेकित करने के लिए उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **समावेशी जेल सुविधाएं:** महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों आदि के लिए अलग सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

भारत में जेल व्यवस्था

- **जेल या 'उनमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति' राज्य सूची (प्रविष्टि-4) का विषय** है।
- भारत में जेल व्यवस्था **1894 के जेल अधिनियम** और राज्य सरकारों के **जेल मैनुअल** द्वारा संचालित होती थी। हालांकि, अब **मॉडल जेल अधिनियम, 2023** ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है।

जेल सुधारों की आवश्यकता

- **औपनिवेशिक दौर का कानून: राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य वाद,1996** में सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिनियम, 1894 को बदलने तथा नए जेल कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
- **जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि:** भारत के सुप्रीम कोर्ट की **2024 की जेल रिपोर्ट के अनुसार,** भारत की जेलों में 31 दिसंबर, 2022 तक कुल कैदियों की संख्या 5.73 लाख थी।
  - इनमें से लगभग **75.8% विचाराधीन कैदी** है।
- **अमानवीय स्थितियां:** छोटी और भीड़भाड़ वाली जेल, उचित स्वच्छता का अभाव और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल।

जेल सुधार हेतु किए गए अन्य उपाय

- लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए **फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना** का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** कैदियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है।
- **मॉडल जेल मैनुअल 2016** के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इनमें उन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जा सकती हैं।
- **जस्टिस कृष्णा अय्यर रिपोर्ट, 1987** में भारत में महिला कैदियों की स्थिति का अध्ययन किया गया।

राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई

इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें

- जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट दी गई है।
- थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट दी गई है।
- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5% कर दिया गया है।
- अन्य निर्णय
  - **काली मिर्च और किशमिश:** अगर ताजा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।
  - **पॉपकॉर्न:** जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा।

GST परिषद के बारे में

- यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संस्था भारत में GST को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- संविधान के अनुच्छेद 279A में GST परिषद के गठन और उसकी भूमिका से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था।
- संविधान के अनुसार GST परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:
  - **अध्यक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री;
  - **सदस्य:**
    - केंद्रीय राजस्व-वित्त राज्य मंत्री;
    - राज्य सरकारों के वित्त या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
- **GST परिषद का निर्णय:** बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम 75% यानी तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।
  - **मतदान भारांश:** कुल मत मूल्य में केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकारों का मिलकर दो-तिहाई (2/3) होता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2024 का ड्राफ्ट अधिसूचित किया

ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट के दुष्प्रभावों को कम करना; सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को लागू करना और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों की निगरानी को मजबूत करना है।

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** यह ठोस अपशिष्ट की माला, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।

ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2024 के मुख्य नियमों पर एक नजर

- ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले को अपने परिसर में कंस्ट्रक्शन (निर्माण) और डिमोलिशन (ध्वंस) से उत्पन्न अपशिष्ट को अलग-अलग संग्रहित करना होगा। साथ ही, कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उसका निपटान भी करना होगा।
- अत्यधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले (Bulk waste generator) को सेनेटरी अपशिष्ट आदि के पर्यावरण अनुकूल संग्रहण और परिवहन के लिए स्थानीय निकाय से विस्तारित बल्क वेस्ट जेनरेटर उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 1500 किलो कैलोरी/ किग्रा या इससे अधिक कैलोरी मान वाले गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को लैंडफिल में नहीं डाला जाएगा।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) इन नियमों के अंतर्गत सभी बाध्य संस्थाओं के पंजीकरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा।
- प्रत्येक उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा केंद्र के संचालक को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा ।
- स्थानीय निकाय कृषि एवं बागवानी अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगाएंगे तथा ऐसे अपशिष्ट को खुले में जलाने में शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना भी लगाएंगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां:

- स्रोत पर अपशिष्ट के उचित संग्रहण एवं पृथक्करण का अभाव है;
- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का अव्यवस्थित ढंग से निपटान या डंपिंग की जाती है;
- अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है आदि।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलें

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 जारी किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी कार्यान्वित किया गया है। यह देश में उत्पन्न सभी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने पर लक्षित है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 लागू किए गए हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को कम करने पर केंद्रित हैं।

अपशिष्ट से ऊर्जा (WtE) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह शहरी, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से बायोगैस/ बायोCNG के उत्पादन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करेगा।

शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्रक में 'नो डिटेंशन' नीति को समाप्त किया

शिक्षा मंत्रालय ने **केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों हेतु कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति को समाप्त** करने का निर्णय लिया है।

- 'नो डिटेंशन' नीति के तहत **कक्षा 5 और 8 के छात्र को अंतिम परीक्षा में फेल नहीं** किया जाता था। यह नीति **2009 के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम** के तहत 2010 में लागू की गई थी। केंद्र ने अब इस नीति को समाप्त कर दिया है तथा स्कूल अब **कक्षा 5 और 8** के छात्रों को फेल कर सकते हैं। यह निर्णय **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) (संशोधन) नियम, 2024** के तहत लिया गया है।
- चूंकि, शिक्षा राज्य सूची का विषय है, इसलिए 16 राज्य और दिल्ली सहित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश पहले ही 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त कर चुके हैं।

नई नीति (निर्णय) से संबंधित मुख्य तथ्य

- यद्यपि **2019 में RTE अधिनियम से नो-डिटेंशन नीति को हटा** दिया गया था, परन्तु, **2023 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)** के जारी होने तक इसके कार्यान्वयन में देरी हुई।
  - नई नीति के तहत यदि कोई छात्र प्रमोशन (उत्तीर्ण) होने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे **परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश** दिया जाएगा। इसके बाद उसे **एक पुनः परीक्षा देने का अवसर** मिलेगा।
  - किसी भी बच्चे को **प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला** जा सकता।

डिटेंशन के पक्ष में तर्क

- **सीखने के परिणामों में गिरावट:** 2023 में कक्षा 10 और 12 में 65 लाख छात्र असफल रहे थे।
- **प्रोत्साहन की कमी:** स्वचालित प्रमोशन के कारण छात्र कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तथा शिक्षकों की जवाबदेही भी कम हो जाती है।

डिटेंशन के विपक्ष में तर्क

- **हीन भावना और उच्च ड्रॉपआउट दर:** परीक्षा में **फेल होने का भय या फिर से उसी कक्षा में बैठने की मजबूरी के चलते कई बार छात्र स्कूल जाना बंद** कर देते हैं।
- **बाल केंद्रित शिक्षा:** केवल **शैक्षणिक प्रदर्शन** के आधार पर मूल्यांकन करने की बजाय बच्चों के समग्र विकास को महत्त्व देने वाली शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

नो डिटेंशन नीति की पृष्ठभूमि

- नो-डिटेंशन नीति को **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के तहत अपनाया गया था। इसका उद्देश्य **स्कूल ड्रॉपआउट (पढ़ाई छोड़ने) दर को कम** करना था।

RTE अधिनियम, 2009 के बारे में

- **86वें संविधान संशोधन अधिनियम** के तहत संविधान के **अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा** का अधिकार दिया गया है। इसी के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार सरकारी स्कूल सभी बच्चों को **नि:शुल्क शिक्षा प्रदान** करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन **स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs)** द्वारा किया जाएगा।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2023-24 में वनाग्नि के हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं

- वनाग्नि की घटना का पता लगाने के लिए **MODIS और SNPP-VIIRS सेंसर्स** का उपयोग किया गया है।
  - **MODIS:** मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर।
  - **SNPP-VIIRS:** सुओमी-नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप- विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **MODIS सेंसर्स** ने 2023-24 में वनाग्नि के 26,390 हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था, जबकि **SNPP-VIIRS सेंसर्स** ने 2,03,544 हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था।
  - 2021-22 में **MODIS सेंसर्स** ने 29,675 और **SNPP-VIIRS सेंसर्स** ने 2,23,333 वनाग्नि हॉटस्पॉट्स का पता लगाया था।
- 2023-24 में वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएं **उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़** में दर्ज की गई थीं।
- **हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर** में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वनाग्नि की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।
- **गोवा और कर्नाटक** में वनाग्नि की घटनाओं में काफी गिरावट हुई है।

वनाग्नि के प्रभाव

- **पर्यावरण पर प्रभाव:**
  - इससे होने वाला **ग्रीनहाउस गैसों और संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग** को बढ़ाता है। वनाग्नि के कारण **प्रतिवर्ष 2.5 बिलियन से 4.0 बिलियन टन तक CO_2** का उत्सर्जन होता है।
  - इससे **जैव विविधता को हानि** पहुंचती है और **वन पारिस्थितिकी-तंत्र को नुकसान** होता है।
- **मानव एवं वन्यजीव के स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - वनाग्नि के कारण **निकलने वाले धुएं से मानव और वन्यजीवों की असामयिक मृत्यु** हो सकती है।
  - इसका **ग्रामीण लोगों की आजीविका** और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उठाए गए कदम

- **भारतीय वन सर्वेक्षण का वन अग्नि जियो-पोर्टल** वनाग्नि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा अभयारण्य में आग लगाना या आग जलाना या जलती हुई आग को छोड़ना **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत प्रतिबंधित है।
- वनाग्नि प्रबंधन एवं नियंत्रण में **संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) और पारिस्थितिकी विकास समितियों (EDCs)** के माध्यम से **सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा** दिया जाता है।

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **वी. रामसुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष** नियुक्त किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली में स्थित है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के तहत हुई है। इस कानून में **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** द्वारा संशोधन किए गए हैं।
- यह एक **वैधानिक संस्था** है।
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष:** भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश;
  - **5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद (डीम्ड) सदस्य।**
- **अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल: 3 वर्ष, या सत्तर वर्ष** की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो)। वे **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** होते हैं।
- **कार्य:**
  - मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेकर या पीड़ित की याचिका पर जांच करना;
  - मानवाधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से कानून और प्रक्रिया की समीक्षा करना; आदि।

पैंगोलिन

तेलंगाना में हालिया घटनाओं ने पैंगोलिन की अवैध तस्करी की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

पैंगोलिन के बारे में

- पैंगोलिन पूरी तरह से **शल्क से कवर स्तनधारी** है। यह जीव **जंगल में शिकारियों से खुद की रक्षा करने** के लिए अपने आपको शल्कों से ढक लेता है।
- यह **चींटियां, दीमक और लार्वा** खाता है। इसे अक्सर **शल्क वाला चींटीखोर** भी कहा जाता है।
- **विशेषताएं:** यह **एकान्तवासी** और मुख्य रूप से **रात्रिचर जीव** है। इसके दांत नहीं होते हैं। इसकी **लंबी व चिपचिपी जीभ इसके शरीर से भी लंबी** होती है।

भारतीय पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकाउडाटा)

- यह **पैंगोलिन की दुनिया भर में मौजूद 8 प्रजातियों** में से एक है।
- यह **पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर, हिमालय के दक्षिण में स्थित (शेष संपूर्ण भारत) सभी भागों** में पाया जाता है।
  - **चीनी पैंगोलिन की उपस्थिति असम और पूर्वी हिमालय** में भी देखी गई है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1** में सूचीबद्ध है;
  - **साइट्स/ CITES के परिशिष्ट-1** में सूचीबद्ध है;
  - **IUCN:** एंडेंजर्ड श्रेणी।

बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फ़ॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC)

बिम्सटेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक थाईलैंड में आयोजित की गई।

बिम्सटेक के बारे में

- **स्थापना:** यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- **उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सचिवालय:** ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है।
- **बिम्सटेक के सात सदस्य:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
- बिम्सटेक का पहला शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित हुआ था।

जेन कास्ट एआई (GenCast AI)

गूगल डीपमाइंड ने उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल का अनावरण किया।

जेनकास्ट एआई के बारे में

- यह एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। यह मौजूदा उपकरणों की तुलना में बेहतर सटीकता और विस्तारित पूर्वानुमान रेंज प्रदान करता है।
- यह पारंपरिक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) के समान, समुच्चय पूर्वानुमान (Ensemble forecasting) का उपयोग करता है, लेकिन सिमुलेशन की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित होता है।
  - समुच्चय पूर्वानुमान के तहत संभावित मौसम परिणामों की एक श्रृंखला का पूर्वानुमान लगाने के लिए विविध प्रारंभिक स्थितियों के साथ NWP मॉडल का उपयोग किया जाता है।

ऑटोमेटेड एंड इंटेलीजेंट मशीन -एडेड कंस्ट्रक्शन (AIMC) सिस्टम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर AIMC प्रणाली का तेजी से उपयोग कर रहा है।

AIMC सिस्टम के बारे में

- यह सड़क-निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में काम के साथ-साथ किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की स्थिति पर रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा।
- **लाभ:**
  - कुशल और समय की बर्बादी कम करता है;
  - बेहतर प्रदर्शन, स्थायित्व और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करता है;
  - बेहतर पारदर्शिता और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप आदि।
- **AIMC सिस्टम के अंतर्गत,**
  - **GPS-सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडर (3D मशीन नियंत्रण प्रौद्योगिकी):** इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में मिट्टी हटाने या फ़ैलाने, सब-बेस और बेस लेयर्स आदि के संबंध में किया जाता है।
    - यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से डेटा प्रोसेस करता है।
  - **इंटेलिजेंट कॉम्पैक्शन रोलर (IC रोलर) और सिंगल ड्रम/ टेंडेम वाइब्रेटरी रोलर:** इसका उपयोग मिट्टी, सब-बेस और बेस लेयर्स कॉम्पैक्शन के लिए किया जाता है।

ब्रू जनजाति (Bru Tribe)

केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के अलग-अलग जिलों में रह-रहे ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए 900 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

ब्रू जनजाति के बारे में:

- इन्हें रियांग भी कहा जाता है।
- यह पूर्वोत्तर भारत की देशज जनजाति है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है।
- इसे त्रिपुरा के 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)' में सूचीबद्ध किया गया है।
- **बस्ती:** इनकी बस्तियां पहाड़ी क्षेत्रों और संकरी घाटियों में बसी होती हैं। यह बांस से बने घरों में रहते हैं।
- **मुख्य पेशा:** यह जनजाति झूम खेती करती है।
- **पंथ/ धर्म:** यह हिंदू धर्म और एनीमिज्म (सर्वात्मवाद) की मिश्रित परंपराओं का पालन करती है।

एग्रो-टेक्सटाइल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रो-टेक्सटाइल प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया।

- यह पहल राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के तहत तकनीकी वस्त्रों (टेक्निकल टेक्सटाइल्स) को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है।

एग्रो-टेक्सटाइल्स के बारे में

- एग्रो-टेक्सटाइल से आशय कृषि क्षेत्रक में तकनीकी वस्त्र सामग्रियों के इस्तेमाल से है।
  - तकनीकी वस्त्र मुख्य रूप से तकनीकी और प्रदर्शन गुणवत्ता या क्षमता वाली सामग्री होती है, वहीं पारंपरिक वस्त्र परिधान या सजावटी उद्देश्यों से बनाए जाते हैं।
- **एग्रो-टेक्सटाइल्स के प्रकार:** इनमें कृषि और बागवानी उपयोगों के लिए बुने हुए (woven), बिना-बुने हुए और निटेड (Knitted) वस्त्र शामिल हैं।
- **उपयोग:** कृषि उत्पादों के संरक्षण, संग्रहण और भंडारण में।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

भारत और ADB ने संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- **मुख्यालय:** मनीला (फिलीपींस) में स्थित है।
- **उत्पत्ति:** यह 1966 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है।
- **उद्देश्य:** चरम गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लोचशील और संधारणीय एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना।
- **कार्य:** यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों व भागीदारों की सहायता करता है।
- **सदस्य:** 69 सदस्य (एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 और बाहर से 20)।
  - भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:** यह ADB का सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

फ्रांस (राजधानी: पेरिस)

हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस साल की चौथी सरकार की घोषणा की।

फ्रांस के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - फ्रांस विशाल यूरेशियाई भूभाग के पश्चिमी छोर के निकट अवस्थित है।
  - **सीमावर्ती राष्ट्र:** बेल्ज़ियम, लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, अंडोरा और इंग्लैंड।
  - इसके दक्षिणी तट पर स्थित मोनाको एक स्वतंत्र एन्क्लेव है। इसके अलावा, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप देश का अभिन्न अंग है।
  - **समुद्री सीमाएं:** इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी; उत्तर-पश्चिम में इंग्लिश चैनल; दक्षिण में भूमध्य सागर; और उत्तर में उत्तरी सागर अवस्थित हैं।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** फ्रेंच आल्प्स; जुरा पर्वत, पायरेनीज आदि।
  - **उच्चतम बिंदु:** मोंट ब्लांक। यह आल्प्स पर्वत की 4,808 मीटर ऊंची चोटी है।
  - **मैदान:** इसके उत्तर-पश्चिम में पेरिस बेसिन जैसे विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान स्थित हैं।
  - **प्रमुख नदियां:** सीन, लॉयर आदि। सीन पेरिस से होकर बहती है तथा लॉयर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची